सी.सं. 40 (119)/निबन्धन/देहरादून/2008–09/तक./1654 दिनांक 19/3/09

भारत सरकार
(वित्त मंत्रालय)
कार्यालय आयकर आयुक्त
13–ए, सुभाष रोड, देहरादून

सेवा में,

मानव रिसोर्स ग्लोबल फाउंडेशन ट्रस्ट
166 शिवालिक इन्क्लेव
रेस कोर्स देहरादून

विषयः आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12–कक में निबन्धन हेतु।

न्यास/संस्था का नाम एवं पता मानव रिसोर्स ग्लोबल फाउंडेशन ट्रस्ट रेस कोर्स देहरादून दिनांक 24-01-09 को न्यास/संस्था ज्ञापन द्वारा गठित उपर्युक्त न्यास/संस्था ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12–कक के अन्तर्गत निर्धारित फार्म में पंजीकरण हेतु आवेदन दिनांक 25.02.08 को प्रस्तुत किया है । संस्था को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12–कक (1) प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 25.02.08 से निबंधन स्वीकृत किया जाता है।

2. यह प्रमाण–पत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है :–

(क)न्यास/संस्था आयकर अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के भीतर प्रत्येक वर्ष संबधित अधिकारी के समक्ष आयकर रिटर्न दाखिल करे।

(ख)न्यास/संस्था द्वारा कार्यालय में ऑडिटेड एकाउन्ट्स की प्रति प्रत्येक वर्ष रिटर्न दाखिल करने की अंतिम निर्धारित तिथि से पहले प्रस्तुत करें।

(ग)यदि न्यास/संस्था के उद्देश्यों में कभी परिवर्तन किया जाता है तो न्यास/संस्था को फिर से धारा 12 क के अंतर्गत आवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।

यदि उपरोक्त तीनों शर्तों में से किसी एक का भी उल्लंघन न्यास/संस्था के द्वारा किया जाता है तो यह प्रमाण–पत्र रिटर्न दाखिल करने अथवा ऑडिटेड एकाउन्ट्स दाखिल करने की अंतिम निर्धारित तिथि अथवा न्यास/संस्था के उद्देश्यों में परिवर्तन की तिथि से निरस्त करने हेतु कार्यवाही की जाएगी।

3. आवेदन की प्रविष्टि कार्यालय में रखे गये धारा 12–कक के आवेदन रजिस्टर में प्रपत्र संख्या 161/08-09 पर की गई है।

आर० के० शर्मा
(आर.के.शर्मा)
आयकर आयुक्त
देहरादून

मोहर

प्रतिलिपि प्रेषित :–

1. न्यास/संस्था उपरोक्त को सूचनार्थ।
2. आयकर अधिकारी/सहायक आयकर आयुक्त/उपायुक्त आयकर /सर्किल/~~वार्ड~~-2 देहरादून को यथोचित कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अपर/सहायक आयकर आयुक्त, रेंज-2 देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. मुख्य आयकर आयुक्त, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित (ध्यानाकर्षण सहायक आयकर आयुक्त (तकनीकी)

आयकर अधिकारी(तकनीकी)
कृते आयकर आयुक्त
देहरादून